राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या ....186/17........

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रामकुमार पुत्र सुखाराम जाति गुर्जर हरिपुरा		तहसीलदार कुचामन

वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 17/7/17

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री.......रामकुमार....... पुत्र.....सुखाराम..... जाति .....गुर्जर..... निवासी .....हरिपुरा..... तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम .....हरिपुरा..... के खाता संख्या/खसरा ~~नम्बर~~ .....153..... में श्री.....रामकुमार..... पुत्र .....सुखाराम..... जाति.....गुर्जर..... अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम .....रामकुमार..... पुत्र .....सुखाराम..... है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट संलग्न है। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम .....हरिपुरा..... तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर .....153..... में खातेदार वादी श्री.....रामकुमार..... पुत्र .....सुखाराम..... निवासी .....हरिपुरा..... की जगह वादी का सही नाम .....राजकुमार..... पुत्र .....सुखाराम..... जाति .....गुर्जर..... निवासी .....हरिपुरा..... दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक .....17/7/17..... को सरे आम ~~कैम्प~~ .... में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)